मानव जीवन विकास समिति

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

2012–13

ग्राम बिजौरी पोस्ट मझगवां जिला कटनी म.प्र.
फोन नं. 07626–275223, 275232
E-mail:mjvskatni@gmail.com
website. www.mjvs.org

संस्था का परिचय :–

मानव जीवन विकास समिति की स्थापना 28 नवम्बर 2000 को कटनी जिले के बिजौरी ग्राम में की गई। यह एक स्वयं सेवी संस्था हैं जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेष है संस्था वर्तमान में मण्डला, बालाघाट, डिण्डौरी तथा कटनी जिले में कार्यरत हैं। कार्यक्षेत्र में 60 प्रतिशत आदिवासी हैं। कटनी जिले में 40 प्रतिषत कोल एवं डिण्डोरी जिले में 70 प्रतिषत बैगा एवं गोंड़ तथा बालाघाट में गोंड़ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। इनके अलावा पिछड़े वर्ग के तथा कुछ सामान्य वर्ग के लोग है। क्षेत्र में षिक्षा का अभाव हैं। लोग आज भी परम्परागत रूढ़ियों से ग्रस्त है। **अध्यक्ष पी0वी0 राजगोपाल जी** के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गाँधी जी के बिचारों के अनुसार ग्राम स्वराज्य एवं ग्राम स्वावलम्बन के लिये संस्था कार्य कर रही हैं। **निर्भय सिंह संस्था के सचिव** तथा **श्री अनीष कुमार के0के0 कोषाध्यक्ष** हैं। संस्था को 80 G तथा FCRA का प्रमाण पत्र प्राप्त है।

महाकौषल अंचल के पिछड़ी जनजाति बैगा एवं अन्य समुदाय के जीवन व भोजन के लिए परियोजना के उद्वेष्य से भूमि आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने हेतु परियोजना का संचालन द्वारा संचालित किया गया है। समुदाय के मध्य जीविकोपार्जन के संसाधन जल, जंगल और जमीन पर लोगो के परम्परागत अधिकार की पुनर्स्थापना के जमीनी स्तर पर प्रेरक कार्यो को मजबूत बनाने के लिए व्यापक रूप से शासन एवं प्रशासन स्तर मे दबाव बनाने हेतु रचनात्मक कार्य करने का मुख्य उद्वेष्य रहा है वनाधिकार अधिनियम को कार्यक्षेत्र मे लागू कराने हेतु पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रशासन के साथ संवाद स्थापित कर दबाव बनाना एवं साथ ही नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु समय–समय पर प्रषिक्षण एवं सम्मेलन, एक्सपोजर विजिट जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना तथा समुदाय के अर्थव्यवस्था को विकसित करने हेतु स्वसहायता समूह, परस्पर सहयोग समूह को बैंक से जोड़कर बैंको से सहायता प्राप्त कर आर्थिक कार्यक्रम चलाना भूमि सुधार, जलसंरक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना परियोजना आधारित कार्य दस्तावेजीकरण एवं जनवकालत कार्यक्रम संचालित कर समुदाय के जीवन स्तर को सुद्वढ़ बनाने के लिये कार्यक्षेत्र मे जमीनी स्तर पर प्रेरक कार्य किया गया है।

कार्यक्षेत्र

जिला	ब्लॉक	गांव
कटनी	**बड़वारा**	**30**
	ढ़ीमरखेड़ा	**20**
डिण्डौरी	**समनापुर**	**50**
	बजाग	**20**
मण्डला	**बिछिया**	**30**
	मवई	**20**
	घुघरी	**30**
बालाघाट	**बैहर**	**60**
सतना	**मैहर**	**01**
दमोह	**पटेरा**	**01**
कुल जिला – 6	**कुल ब्लॉक – 10**	**कुल गांव – 262**

उपरोक्त कार्यक्षेत्र के अलावा स्कॉलरषिप, MCDC, एकता महिला मंच, एकता लोक कलां मंच, भूमि अधिकार अभियान शोध, नेषनल एडवोकेसी एवं नेटवर्किंग, स्थानीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन आदि विषयों पर भी संस्था सम्पूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों में अपने सम्पर्कीय साथियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा काम कर रही है ।

उद्धेष्यः– (समिति निम्न मुद्दों पर कार्य करती है)

- प्रशिक्षण – (जैविक कृषि, वृक्षारोपण, नर्सरी एवं जड़ी बूटियों का संग्रह एवं संवर्धन का क्षेत्र में प्रचार प्रसार ।
- वन अधिकार अधिनियम। वनवासियों को वन तथा वनोपज के लिये उचित अधिकार दिलाना।
- पंचायतीराज सशक्तिकरण। समाज में महिलाओं को सम्मान तथा अधिकार दिलवाने के लिये षिक्षा तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार कर उनकी समझ विकसित करना।
- शिक्षा (एक घुमक्कड़ जनजाति के बच्चों का स्कूल) बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयास करना।
- स्वास्थ्य (जिला स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त)
- ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की भावना से समूहों का निर्माण कर संचालन व प्रषिक्षण के प्रयास करना । (स्व–सहायता समूह का निर्माण एवं संचालन)
- संगठनात्मक बैठक।
- रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण (NCVT) से मान्यता प्राप्त ।
- स्थानीय संसाधनों पर लोगों का अधिकार एवं प्रबन्ध।
- विलेज टूरिज्म।
- सामाजिक कल्याण के लिये अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध लोकचेतना जागृत करना।
- शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विस्थापित आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिये गतिषील करना ।
- पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त कर उसके संरक्षण के प्रयास करना।
- स्थानीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं अभिवृद्धि।
- रचनात्मक कार्यों की सहायता से समाज परिवर्तन की दिषा में कार्य करना।
- षिक्षण और प्रषिक्षण के द्वारा युवाओं की आजीविका सम्बन्धी समस्यायों के समाधान का प्रयास करना।
- समाज में गांधी विचार का प्रचार प्रसार कर शांति, अहिंसा और प्रेम की भावना जागृत करना।
- गावों में एकजुटता की भावना लाकर सत्य अहिंसा पर आधारित समाज निर्माण हेतु सार्थक पहल कराना ।

ट्रेनिंग सेन्टर :– संस्था के पास 30 एकड़ भूमि है। इसी भूमि पर संस्था का कार्यालय, ट्रेनिंग हाल, अतिथि भवन, आवासीय भवन तथा किचिन है। यातायात की सुविधा के लिये संस्था के पास एक महिंद्रा जीप एवं दो मोटर सायकल है, जिसका उपयोग कार्यक्षेत्र के लिये किया जाता है। इसके अलावा ऑफिस में छ कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर जनरेटर सहित व्यवस्था है ।

स्कूल का संचालन :– शिक्षा (एक घुमक्कड़ जनजाति के बच्चों का स्कूल) बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयास करना।

बड़वारा ब्लॉक के अन्तर्गत मदारी टोला में सरकारी स्कूल के साथ संस्था द्वारा एक षिक्षिका का मानदेय देकर बच्चों की पढ़ाई का कार्य किया जा रहा है जिसमें 130 बच्चे अध्ययनरत है। इस वर्ष 2012 मे 150 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया। इसी के साथ–साथ रानीदुर्गावती स्कूल के नाम से संचालित सिझौरा, जिला मण्डला में आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया जिसमें स्कूल बनाने व एक षिक्षिका को आर्थिक मदद दी गई जिसमें 110 बच्चे है।

कौशल उन्नयन, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण (NCVT) श्रम मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त – ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमे से कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण (फैशन डिजाईनिंग), बेसिक इलेक्ट्रिक, टी–स्टाल वेन्डर, ड्राईवर कम्प्यून जैसे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रशिक्षित होकर रोजगार को प्राप्त करते हैं।

विलेज टूरिज्म (गरिमा परियोजना) – परियोजना (एक सामाजिक और सांस्कृतिक आदान - प्रदान परियोजना) TAMADI, फ्रांस और मानव जीवन विकास समिति (MJVS), कटनी, मध्य प्रदेश, भारत के साथ कार्य कर रहा है।

उद्देश्य: - व्यापक उद्देश्य: मजबूत बनाने और सामाजिक - सांस्कृतिक आदान - प्रदान और आर्थिक सहायता के माध्यम से लोगों के आंदोलन को बनाए रखने से ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करना।

विशिष्ट उद्देश्य: - आर्थिक सेवा लागत और ग्राम विकास निधि के रूप में ग्रामीणों को आर्थिक सहायता यात्रा लागत की कुल लागत का 8% - 10% स्थानीय बाजार के उत्पादों, दोनों कृषि और आगंतुकों के साथ जोड़ने के द्वारा गैर - कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है।

• राजनीतिक सशक्तिकरण ग्रामीणों को जुटाने और ग्रामीणों के बीच के आयोजन की प्रक्रिया को बढ़ाने के द्वारा अपनी आजीविका के अधिकार के लिए उनकी आवाज पैदा करने के लिए और लंबे समय में एक आदर्श गांव के रूप में गांवों बनाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है।

• सामाजिक और संस्कृति: सीखने और ग्रामीणों और आगंतुकों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बातचीत, चर्चा, और सांस्कृतिक आदान - प्रदान की गतिविधियों के माध्यम से साझा करने के दो तरीके हैं. ग्रामीणों और आगंतुकों को बेहतर समझ है और सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के क्रम में और मतभेद की स्वीकृति और सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं.

स्वास्थ्य और पर्यावरण: बुनियादी स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छता और ग्रामीणों के पर्यावरण पहलुओं में सुधार.

• नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता: कुल मिलाकर संचार कौशल, आतिथ्य और आगंतुकों के प्रबंधन, विश्वास इतना है कि ग्रामीणों को लंबे समय में इस परियोजना को खुद को संभाल सकता है के मामले में ग्रामीणों के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल विकास. ग्रामीणों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के द्वारा पर्यावरण को सक्षम बनाने का कार्य किया जा रहा है।

<u>नेहरू यूथ केम्प –</u> कटनी दिनाँक 8.02.2012 को नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता षिविर का विधिवत उद्घाटन मान्यनीय महापौर महोदया द्वारा हुआ। मुख्य अतिथि का स्वागत जिला युवा समन्वयक श्री सुधीर सिंह द्वारा पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री निर्भय सिंह का स्वागत श्री सिंह द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। उक्त राष्ट्रीय एकता षिविर दिनांक 7 फरवरी से 13 फरवरी 2012 तक मानव जीवन विकास समिति बिजौरी, जिला कटनी मे आयोजित है। प्रदेष के विभिन्न प्रांतों क्रमशः नेहरू युवा केन्द्र कपुरथता पंजाब, कैमरूप आसाम, पुडुकोड्ई तमिलनाण्डु, फिरोजाबाद, फैजाबाद, उत्तर प्रदेष, जालौर राजस्थान से आये हुए 150 प्रतिभागी अपने प्रांत के राष्ट्रीय लोक कला पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर मुख्य अतिथि का मन मुग्ध किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन पर कहा कि राष्ट्रीय एकता का मतलब तो हम सभी समझते है परन्तु देखने को आज इस कैम्प मे मिला साथ ही षिविर मे आये हुए समस्त प्रतिभागियों का मेरी हार्दिक शुभकामनाये दी। अध्यक्षीय उद्बोधन मे श्री सिंह ने कहा कि आज हमारे इस संस्थान के सभागार मे सम्पूर्ण भारत की तस्वीर मे परिलक्षित है। कार्यक्रम मे आसाम के बीहू नृत्य ने दर्षको का मन मोह लिया। कार्यक्रम का प्रतिवेदन नेहरू युवा केन्द्र के लेखापाल श्री देवेन्द्र द्विवेदी ने प्रस्तुत किया।

अन्य प्रशिक्षण –

सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पेंशन–वृद्धा, विकलांग,सामाजिक सुरक्षा पेंशन। लाडली लक्ष्मी योजना, बाल हृदय उपचार योजना, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना आदि योजनाओं का सभी को लाभ मिल सके इस प्रकार से गांव के लोगों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे पात्र हितग्राही को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य (जिला स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त) – स्वास्थ्य को लेकर गांव–गांव मे बनी स्वास्थ्य कमेटी को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे स्वास्थ्य मानव की कल्पना अधूरी न रहे इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से भी सहयोग लेकर समितियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे देखा भी गया है कि पूर्व मे जो स्थिति थी उसमे लगभग 75 प्रतिशत सुधार हुआ है। इसके लिए गांव मे जो अरोग्य केन्द्र खोले गये उसकी जानकारी गांव के लोगों तक पहुंचायी जाती है जिससे गांव के लोग छोटी मोटी बीमारियों से बच सके और गांव पर ही अरोग्य केन्द्र से दवाई प्राप्त हो जाती है और स्वास्थ्य मे सुधार हो रहा है ।

परस्पर सहयोग समूह एवं स्वसहायता समूह की जानकारी :– कार्यक्षेत्र के गांव में 195 स्व–सहायता समूहों का संचालन किया गया। 45 समूहों के बैंक में खाते खुलवाये गये। परियोजना क्षेत्र के ग्रामों मे समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के तहत संगठनात्मक गतिविधि के साथ परस्पर सहयोग समूह एवं स्वसहायता समूह का गठन कर बचत और बैंको से जोड़कर सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही ग्राम स्तर पर साहूकारो से मुक्ति मिली है। समूह के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को भी आसानी से ऋण प्राप्त करने मे सुविधा हो रही हैं।

रचनात्मक कार्य – स्व–सहायता समूहों के माध्यम से संस्था ने रचनात्मक कार्यो द्वारा लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया तथा कृषि में सहायता कर खाद्याान्य सुरक्षा बढ़ाने में सहयोग किया।

संगठनात्मक बैठक–

जनसत्यागृह 2012 की पूर्व तैयारी के संदर्भ में म्युजिक फेस्टिवल का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया । कार्यक्रम में छ राज्यों म0प्र0, छ0ग0, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र से एक सैकड़ा कलाकार प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे है जो कि जनसत्याग्रह 2012 की यात्रा मे जायेंगे।

(1) मानव जीवन विकास समिति व एकता लोक कला मंच के संयुक्त तत्वाधान मे सात दिवसीय संगीत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ एकता परिषद द्वारा जन सत्याग्रह 2012 की तैयारी के लिए 12 मई 2012 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित कर गीत के माध्यम से किया गया। कार्यषाला 17 मई 2012 तक चलेगी।

मंचासीन अतिथियों ने अपने–अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि हमारी लोक संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो हमारे मन को प्रसन्नचित तो करती ही है साथ ही समाज को जागरूक करने मे भी सहायक होती है। संगीत मानव शरीर के सभी तनाव को दूर कर सभी को प्रेम से जोड़ सकता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो कि तमाम विरोधी तत्वों को भी संगीत धुन, लय, तान मे एक साथ पिरोने की क्षमता से परिपूर्ण है। कार्यक्रम में छ राज्यों म0प्र0, छ0ग0, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र से एक सैकड़ा कलाकार प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे है जो कि जनसत्याग्रह 2012 की यात्रा मे जायेंगे।

(2) वंचितों के हक में चल रही जन संवाद यात्रा 17 मई को मध्यप्रदेश के कटनी जिले मे आएगी। देष में विकास के नाम पर राजनीतिज्ञों, पूंजीपतियों एवं दलालों के गठजोड़ से कुछ लोगों की जेबें भरने का काम किया जा रहा है और दूसरी ओर आदिवासी, दलित एवं पिछड़े तपके के लोगों को सुबह शाम की रोटी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में वंचितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए एकता परिषद द्वारा जनसत्याग्रह 2012 की घोषणा की गई है। एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद के सदस्य राजगोपाल पी.व्ही. की अगुवाई में राष्ट्रव्यापी जन संवाद यात्रा निकाली गई है।

(3) श्री राजा जी के विषिष्ट अतिथ्य मे सामाजिक एवं पत्रकारिता के क्षेत्र मे उल्लेखनीय कार्य करने वाले को माया कोने आवर्ड से पुरूष्कृत किया जायेगा।

ज्ञात हो कि कार्यक्रम का समापन 17 मई 2012 को गुलाब चंद स्कूल कटनी मे एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पी.व्ही. राजगोपाल जी के अध्यक्षता मे किया गया । इसमे उल्लेखनीय कार्य करने वालों को माया कोने अवार्ड एवं प्रसस्ति पत्र से पुरूस्कृत किया गया है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन– प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन की दृष्टि से जैविक कृषि, वर्मी कम्पोस्ट, नर्सरी, कम्पोस्टपिट, वृक्षारोपड़, जड़ीबूटी संग्रह एवं संवर्धन तथा जल प्रबन्धन के कार्य किये गये।

जैविक कृषि को बढ़ावा देना – जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जाता है कि आपको जैविक खाद का प्रयोग करना है जिससे देखा जाता है कि शासकीय खाद के प्रयोग से कही ज्यादा उपज जैविक खाद के प्रयोग से होती है। आपको कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट का खाद आसान तरीके से प्राप्त हो जायेगी जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते है। तो आपको प्रशिक्षण से जाते ही जैविक कषि को अपनाना है ।

- **सिझौरा–** जैविक कृषि को बढ़ावा देन के लिये कम्पोस्टपिट बनाया गया तथा वृक्षारोपड़ के लिये पौधों की नर्सरी तैयार की गई ।
- **बिजौरी**– संस्था के केन्द्र स्थल पर जैविक कृषि के अन्तर्गत धान और गेहूँ की खेती की गई। इसके अतिरिक्त अरबी, लौकी, आलू, प्याज, अदरक, मिर्च तथा हल्दी लगाई गई जिनका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके अलावा वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट, नर्सरी, वृक्षारोपड़ किया गया।

क्रं.	फसल	बीज	उत्पादन
1	धान	2.10 क्वि.	250 क्वि.
2	गेहूँ	7 क्वि.	40 क्वि.
3	सरसों	2 किलो	200 किलो
4	लौकी	500 ग्राम	10 क्वि.
5	प्याज	500 ग्राम	25 क्वि.
6	मिर्च	50 ग्राम	200 किलो
7	आलू	50 किलो	2.10 क्वि.
8	अदरक	30 किलो	110 किलो
9	हल्दी	25 किलो	150 किलो
10	ककड़ी	250 ग्राम	15 क्वि.
11	करेला	750 ग्राम	12 क्वि.
12	भिण्डी	750 ग्राम	14 क्वि.
13	गाजर	50 ग्राम	20 किलो

दुर्लभ जड़ीबूटी कलिहारी जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उपयोग यदि कील या धातु जैसे सुई पैर में चुभ जाता है तो कलिहारी कन्द को घिसकर लगा देने से कील या सुई बाहर निकल आती है एवं दर्द दूर हो हो जाता है तथा सुखपूर्वक प्रसव होने में भी सहायक होता है।

वृक्षारोपण– वृक्षारोपण की दृष्टि से सागौन, खम्हेर, कटंगा बांस, ग्लिरीसीडिया, करंज, आवला, आम, कटहल, काजू, नींबू, स्वर्णलता, अमरूद, अर्जुन, केसिया सेमिया, बकायन इत्यादि पौधे लगाये गये –

क्रं.	प्रजाति	संख्या
1.	सागौन	175
2	खम्हेर	500
3	कटंगा बांस	206
4	ग्लिरीसीडिया	75
5	करंज	1711
6	आवला	306
7	आम	50
8	कटहल	25
9	काजू	5
10	नींबू	20
11	स्वर्णलता (क्रोटन)	25
12	अमरूद	50
13	अर्जुन	15
14	अकेसिया सेमिया	55
15	कचनार	10
16	मीठी नीम	70
17	नीम	25
18	बकायन नीम	35
19	पपीता	10
20	जामुन	20
	कुल 20 प्रजाति के	3388 पौधे

- **लकड़ी** – पुराने वृक्षों से 11 टन लकड़ी प्राप्त हुई जिसमें 5 टन इमारती लकड़ी थी तथा शेष जलाऊ लकड़ी थी ।
- **मेड़बन्दी** – सेंटर में 1 एकड़ भूमि की मेड़बन्दी करवाई गई ।
- **वर्मीकम्पोस्ट** – इस वर्ष वर्मीकम्पापेस्ट से 3000 किलो वर्मीकम्पोस्ट प्राप्त हुआ।
- **कम्पोस्ट (नापेड)** – कम्पोस्टपिट से 2 टन कम्पोस्ट खाद प्राप्त हुई।
- **नर्सरी** – नर्सरी में इस वर्ष 20,000 नये पौधे तैयार किये गये।

- **जड़ीबूटी संग्रह संवर्धन** – 85 प्रकार की प्रजातियों के पौधे लगाये गये ।

क्रं.	नाम	पौधे
1	बांस	3196
2	आंवला	306
3	खम्हेर	500
4	पपीता	100
5	रतनजोत	150
6	मीठीनीम	70
7	नींबू	25
8	जड़ी बूटी	85 प्रकार की 1500 पौधे

जड़ी बूटी संग्रह एवं संवर्धन :– यह पुस्तक जिसमें विषेष प्रकार की जड़ी बूटियों का उल्लेख है, इसे सम्मेलन में आये सभी संस्थाओं के लोगों को उपहार स्वरूप प्रदान की गई।

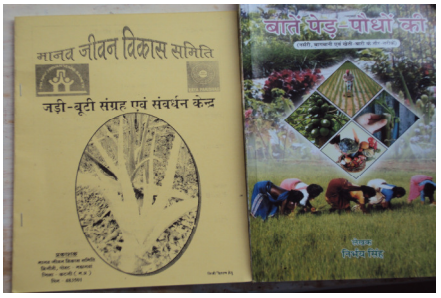

स्कॉलरषिप :– भारत के किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति यदि महात्मा गाँधी के विचारों के अनुसार जनहित में देष के आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत है तो संस्था उसकी दैनिक आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता करती है वर्ष 2011–2012 में मध्यप्रदेष, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ के कुल 20 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई।

अन्य कार्यक्रम :–

- प्रतिवर्षानुसार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा महापुरूषों की जयंतिया मनाई गई अक्टूबर का प्रथम सप्ताह महात्मा गाँधी के विचारों का प्रचार प्रसार कर स्वच्छता एवं नषा मुक्ति अभियान के रूप में मनाया गया।

❖ **<u>द हंगर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ाव –</u>** वर्ष 2010 से मानव जीवन विकास समिति का जुड़ाव हुआ है जिससे जुड़कर पंचायतीराज मे उभर कर आयी महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त करने हेतु उनके अधिकार एवं शक्ति तथा 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की जानकारी दी जाती है । महिला जनप्रतिनिधियों के अलावा भी गांव की सभी महिलाओं को भी साझा मंच के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे यह भी देखने को मिल रहा है गांव की महिला अपने हक की मांग तथा अधिकार की लड़ाई के लिए स्वयं अधिकारी कर्मचारी के पास जाती है और अपनी समस्या का समाधान करने मे सक्षम हो पायी है।

महिला जनप्रतिनिधि सषक्तिकरण कार्यकम एवं साझा मंच कार्यकम संचालित किये जा रहे है –

❖ **कार्यक्षेत्र की जानकारी –** कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक के 15 पंचायतें एवं समनापुर ब्लॉक के 15 पंचायतें कुल 30 पंचायतों मे सघन रूप से मानव जीवन विकास समिति द्वारा हंगर प्रोजेक्ट के सहयोग से कार्य किया जा रहा हैं।

<u>संलग्न–कार्यक्षेत्र की सूची</u>

जिला कटनी ब्लॉक बड़वारा

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	माहिला वार्ड नं.	गांव
1	लखाखेरा	तुलसा बाई	6	4
2	भादावर	नागवती बाई	5	3
3	बछरवारा	भगवानदीन	6	4
4	नन्हवारा सेझा	बलीसिंह	5	3
5	बड़ेरा	सतूला बाई	6	3
6	लां	कृष्णा सिंह	8	1
7	बिलायतखुर्द	कलावती विष्वकर्मा	5	1
8	पथवारी	प्रभा सिंह	5	2
9	गुड़ाकला	सुगन्धी बाई	6	4
10	कछारी	समुदिया बाई	6	3
11	नन्हवारा कलां	कौषिल्या बाई राठौर	8	2
12	बड़ागांव नं.02	तिरसिया बाई	7	2
13	परसेल	भूरी बाई कोल	7	1
14	खरहटा	राधा बाई रघुवंषी	7	1
15	सुड्डी	रानी बाई पटेल	6	1
	15 पंचायत	**13 महिला और 2 पुरूष**	**93**	**35**

जिला डिण्डौरी ब्लॉक समनापुर

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	माहिला वार्ड नं.	गांव
1	सुन्दरपुर	सावित्री बाई	7	2
2	नानडिण्डौरी	चमेली बाई	7	3
3	डोंगरिया	राजकुमारी	5	1
4	माधोपुर	सीता बाई	7	4
5	छांटा	कुसुम बाई	10	2
6	कंचनपुर	गंगोत्री बाई	8	2
7	जाताडोंगरी	छबि लाल	9	2
8	मानिकपुर	प्रतिभा	6	1
9	लदवानी	शंकरी बाई	6	3
10	चांदरानी	चित्रावती	10	1
11	बुडरूखी	शषी कला	7	2
12	सरईमाल	शान्ती बाई	10	3
13	प्रेमपुरमाल	गोमती बाई	7	2
14	मुकुटपुर	रेखा बाई	8	2
15	सरई	ऊषा बाई	6	2
	15 पंचायत	**14 महिला और 1 पुरूष**	**113**	**32**
टोटल	**30**	**27 महिला 3 पुरूष**	**206**	**67**

मुद्दे –

- **पंचायतीराज मे महिला केन्द्रित प्रशिक्षण।**
- **घरेलु हिंसा एवं कुपोषण की रोकथाम।**
- **ग्राम सभा सशक्तिकरण।**
- **निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का संगठन निर्माण।**

गतिविधि जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012

1. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

क्रं.	गतिविधि का नाम	संख्या	प्रतिभागी
1	नीड बेस्ड वर्कषॉप	2	74
2	फेडरेषन मीटिंग ब्लॉक स्तरीय	8	223
3	फेडरेषन कोर ग्रुप मीटिंग ब्लॉक स्तरीय	6	123
4	फेडरेषन कन्वेंषन	1	75
5	फेडरेषन केम्पेन	1	647
6	एक्सपोजर मीटिंग	1	15

पंचायत स्तर पर महिला सशक्ति करण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तीन वर्षों में महिलाएँ अपने आपको राजनैतिक रूप से सशक्त मानने लगी है, परम्परा और रूढियों से बाहर निकलकर पुरूष प्रधान समाज एवं राजनैतिक परिद्श्य में अपनी जगह बनाकर कामों में अग्रसर होकर हाथ बढाने में सक्षम हो रही है । जिन महिलाओं को जागरूकता , अशिक्षा, पितृसत्ता समाज के अंधेरे में अपने आप को नेता समझा पाना एक चुनौती थी, वही महिला फेडरेशन बनाकर अपनी ताकत अपनी पहचान को आगे बढाने एवं मुददों की पैरवी कर विकास के कामों में अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश में लगी हैं ।

इसी कडी में द हंगर प्रोजेक्ट के सहयोग से कटनी जिले के बडवारा ब्लाक एवं डिण्डौरी जिले के समनापुर ब्लाक के 30 पंचायतों में जागृति महिला पंच सरपंच संगठन बनाकर मुददों कि पहचान, मुददों की पैरवी, कानूनी जानकारी आवश्यकता आधारित कार्यशाला, ब्लाक स्तरीय बैठकें अन्य कार्यक्रम कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ।

आवश्यकता आधारित कार्यशाला – द हंगर प्रोजेक्ट के सहयोग से समय–समय पर आवश्यकता आणारित कार्यशालाओं का आयोजन मानव जीवन विकास समिति के द्वारा आयोजित किया जाता रहता है जिसमे गांव की महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त करनें के लिए प्रेरित किया जा रहा हैं।

ब्लॉक स्तरीय बैठक – विगत वर्षों से चल रहे कार्यों पर इस वर्ष ब्लाक स्तरीय फेडरेशन का निर्माण किया जा चुका है, अब इस फेडरेशन की ब्लाक स्तरीय ब्लाक ऑफिस में प्रत्येक तीन माह में बैठक का आयोजन किया जायेगा । जिसमें फेडरेशन की सभी पदाधिकारी व सदस्य शामिल होंगी जो एक दिवसीय बैठक होगी जहॉ पर अपने पंचायत स्तर पर किये गये कार्यों का आपसी चर्चा करना व आ रही दिक्कतों का सामूहिक रूप से हल करने के तौर तरीके ढुढना व तलासना तथा हल के उपायों पर चर्चा होगी तथा अगले तीन माह की योजना तैयार कर एक एक मुददों पर काम को सुचारू रूप से संचालित करना होगा। इस बैठक में 30–30 ई0डब्लू0आर0 भागीदारी होगी जो वर्ष में प्रत्येक ब्लॉक में 04 बैठकों का आयोजन किया जायेगा ।

कोर ग्रुप कमेटी बैठक – जाग्रति महिला पंच सरपंच के सदस्यो को कामो के बारे में चर्चा कर कार्य एंव उत्तरदायित्व को निभाना तथा पंचायत स्तर पर निकले मुद्दो पर पैरवी हेतू चयन कर प्रशासनिक स्तर पर आगे बढाना एवं पंचायत स्तर पर किये गये कार्यो का आपसी चर्चा कर आ रही दिक्कतो का सामुहिक रूप से हल करने के तौर तरीके ढुढ कर हल करने का प्रयास करना इन उद्देश्यो को लकरे कोर कमेटी बैठक का आयोजन किया गया ।

एडवोकेसी कैम्पेन –

गतिविधियाँ	ब्लॉक	दिनांक	सरपंच	उपसरपंच	पंच	अन्य	स्टाफ	कुल
एडवोकेसी कैम्पेन	समनापुर	13–19 मई 2012	12	7	55	570	3	647

महात्मा गॉधी रोजगार गारण्टी योजना

अभियान का नामः– मनरेगा में 100 दिन कि मजदूरी जागरूकता अभियान

अभियान क्यों कर रहे हैं :– महात्मा गॉधी रोजगार योजना के संबंध में जानकारी मिले 100 दिन कि भूमिका को लेकर समझ विकसित ही लोग गॉवों को छोडकर अन्य जगह पर पलायन न करें । काम का अधिकार कानून में लोगों को हक एवं अधिकार की जानकारी है । विगत दो वर्षों से महिला जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के जॉबकार्ड बनवाना एवं लोगों को मनरेगा में काम न मिलना, समय पर भुगतान न होने की समस्या बिकराल है । इसके मुख्य कारण देखने को मिले जो निम्नानुसार है–

- जन समुदाय में जागरूकता का अभाव ।
- मनरेगा के संबंध में जानकारी में अभाव ।
- शासन की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन न होना ।
- लोगों को काम के प्रति संवेदनशील न होना ।
- लोगों को लगता है कि जॉब कार्ड में नाम जोडने से पैसा मिलता है ।
- भुगतान में महिला पुरूष में भेदभाव ।
- बैंक में भुगतान हेतु खाता के संबंध में समझ विकसित न होना ।
- झूलाघर संबंधी जानकारी का न होना ।
- मुआवजा संबंधी जानकारी न होना।
- इलाज हेतु जानकारी का न होना।
- समय पर भुगतान होना ।
- भुगतान राशि में फेरबदल करना।
- दूसरे के नाम पर हाजिरी चढा देना।
- मस्टर रोल संबंधी जानकारी न मिलना ।
- ग्राम सभा में न जाने ब्लाबिंग के संबंध में जानकारी न मिलना।

अभियान का संदेश था :–

1 काम का हक है सभी 18 वर्ष से ऊपर महिला पुरूषों को लडका लडकी को 100 दिन का मजदूरी साल में मिलेगा ही पंचायत की जिम्मेदारी है रोजगार उपलब्ध कराना ।

2 यह मॉग आधारित हक है, पंचायत कार्यालय में 15 दिन के अन्दर जॉब कार्ड बनता है ।

3 काम कैसे करेंगें, लिखित आवेदन या मौखिक दे सकते हैं रसीद जरूर ले लें 14 दिन के अन्दर काम मॉग सकते हैं ।

4 कार्ड मुफ्त में बनता है ।

5 काम मॉगने के 15 दिन के अन्दर काम न मिलने पर तो भत्ता देय होगा।

6 हाजिरी रोज लगाये, मस्टर रोल कार्यस्थल पर ही उपलब्ध होता है ।

7 महिला पुरूषों को सामान मजदूरी मिलती है।

8 भुगतान समय पर न होने पर मुआवजे की मॉग करें।

9 स्वयं के खाते में भुगतान होता है।

10 खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलता है।

11 पास बुक में विवरण अवश्य दर्ज करवायें ।

12 मजदूरों का हम छाया दवाई और पीने का पानी का ।

13 मजदूरों के 6 वर्ष से कम उम्र में 5 वर्ष के बच्चे होने पर देखभाल के लिये महिला नियुक्त की जा सकती है।

14 दुर्घटना होने पर उचित इलाज की व्यवस्था का प्रावधान ।

15 काम करते चोट लगने की स्थिति में मुक्त में इलाज मिलेगा और जब तक काम पर न जा सके तब तक वह आधी मजदूरी का हकदार है ।

16 2500 सौ रूपये की मुआवजा की राशि घटना स्थल पर मृत्यू होने से मिलती है ।

17 ग्रामसभा तय करती है मनरेगा में कौन से काम करवाये सभ्झी को ग्रामसभा में जाकर काम को तय करना है ।

18 ग्रामसभा की निगरानी का अधिकार है ।

19 वर्ष में कम से कम दो बार ग्रामसभा सामाजिक अंकेक्षण करती हैं।

समनापुर पंचायत के 15 पंचायत के 32 गॉव में अभियान चलाया गया

पोस्टर, पंपलेट दिवाल लेखन नारा गीत एवं बैठकें, सभा, रैली के माध्यम से सम्पर्क कर लोगों को मनरेगा के तहत जानकारी एवं जागरूकता लाने का प्रयास किया गया

कार्यक्रम का संचालन 7 दिवसीय किया गया जिसमें प्रत्येक दिवस समय प्रात : 10 वजे से शाम 6 बजे तक गांव में भ्रमण किया जाता था । जो निम्नानुसार रहा ।

- ❖ गांव में माईक द्वारा सूचना ।
- ❖ पंचायत मे जाकर मनरेगा के सम्बन्ध मे चर्चा करना ।
- ❖ पोस्टर पंपलेट को जगह जगह में लगाकर चर्चा करना ।
- ❖ गांव में दिवाल लेखन करना ।
- ❖ ग्राम सभा मे मनरेगा की समस्याओं के प्रति आवाज उठाना।
- ❖ कार्य स्थल पर मजदूर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 25,000.00रूपये की मुआवजा राशि मिलती है।
- ❖ मजदूरों के 6 वर्ष के कम उम्र के 5 बच्चे होने पर देखभाल के लिए झूला घर में महिला नियुक्त की जा सकती है।

अभियान के दौरान गॉव से निकाले गये मनरेगा के तहत समस्याओं की सूची -

क्रं.	पंचायत	गॉव	कार्य का नाम	वर्ष	मजदूरी का दिन	जॉबधारियों की संख्या	कुल राशि
१	सुन्दरपुर	अॅगवार	सी०सी० रोड निर्माण	२०११-१२	२८ दिन	६५	२४०२४०
२	जाताडोंगरी	जाताडोंगरी	स्कूल निर्माण	२०११-१२	१३ दिन	०९	१६८४४
३	छॉटा	मोहदा एवं छॉटा	स्कूल में बाउड्री निर्माण	२०११-१२	१५ दिन	४५	८९१००
४	सरई	सरई	मेढबॉध निर्माण	२०११-१२	१४ दिन	१४	३५०००
५	लदवानी	गोरखपुर	सी०सी० रोड	२०११-१२	२२ दिन	८६	२४९७४४
६	माधोपुर	रहॅगी	कपिलधारा०३/ मेढबॉधान १५	२०११-१२	६० दिन	४२	१२५००००
७	नानडिण्डौरी	कमको	स्कूल बाउड्री वाल निर्माण	२०११-१२	०७ दिन	०९	११११६

अभियान के दौरान गॉव के लोगों में एक अक्रोस था कि रोजगार गारण्टी में मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है हमने कई बार प्रशासन को लिखित तौर पर आवेदन दिया जिसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई अब हम लोग रोजगार गारण्टी के कामों में पंचायत किसी भी प्रकार का काम लगायेगा हमें काम पर जाने का मन नहीं होता।
अभियान के अन्त में पत्रकारों एवं विधायक जी से चर्चा के दौरान गॉव की हालत मनरेगा के कामों में गॉव की स्थिति का अवलोकन कराकर विभिन्न गॉव की मजदूरी भुगतान के लिए चर्चा किया गया।

vfHk;ku dk yf{kr leg dku g& &

पंच, सरपंच और गांव की मतदाता महिलायें व समुदाय।

1. साझा मंच कार्यक्रम

क्रं.	गतिविधि का नाम	संख्या	प्रतिभागी
1	पंचायत स्तरीय बैठक	40	1550
2	मंच मीटिंग ब्लॉक स्तरीय	2	35
3	इंटरफेस मीटिंग	1	32
4	इस्यू बेस्ड इंटरफेस मीटिंग ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन	4	135
5	स्टेंडिंग कम्मिटी ट्रेनिंग	5	115
6	ग्राम सभा मोबलाईजेषन	3	1200

पंचायती राज में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की मदद करने की जब बात आई तो समस्याओं के कार्यकर्ता उतना सहयोग नहीं कर पायेंगे तो क्यों न गॉव व पंचायत स्तर पर ही सपोर्ट ग्रुप तैयार किया जाए तो उन महिलाओं से सम्पर्क किया गया जो पंचायत के कार्यों पर उत्साह दिखाती है । मन को गॉव व पंचायत विकास में लगता है बस यहीं से यह सिलसिला प्रारम्भ हुआ और उन उत्साही महिलाओं को भी बैठक प्रशिक्षण का दौर प्रारम्भ कराकर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बैठाकर ग्राम सभा जैसे आयोजनों में महिलाओं की संस्था में दिनों दिन बढोत्तरी दिखाई देने लगी जहॉ महिलाओं से संबंधित मुददों व उनके लायक समाजिक सरोकर के मुददे उठने लगे यह एक अच्छा मौका था कि गॉव व पंचायतों की ग्रामसभा के आयोजनों में महिलाओं की संस्था ज्यादा दिखने लगी और यह स्वाभविक भी था । साझामंच की महिलाओं की मदद से भी कई जरूरी कार्य सफलता पूर्वक कराये गये और इसमें भी ज्यादा उन निर्वाचित महिलाओं को अपनी पंचायत का सुचारू संचालन के लिए काफी मददगार स्थापित हुआ ।

पंचायत स्तरीय बैठक – पंचायत स्तर पर गांव सभी महिला पुरूषों को बैठक के माध्यम से महिलाओं के अधिकार एवं शासन की विभिन्न प्रकार की जानकारी से अवगत कराया जाता हैं। तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। उन्हे यह भी बताया जाता है कि आप लोग अकेले नही है आप के साथ पूरा गांव एवं प्रशासन है आपको आगे आकर लाभ प्राप्त करना है।

ब्लॉक स्तरीय बैठक/ इंटरफेस बैठक – ब्लाक स्तरीय ब्लाक ऑफिस में प्रत्येक तीन माह में बैठक का आयोजन किया जायेगा। जिसमें फेडरेशन की सभी पदाधिकारी व सदस्य शामिल होंगी जो एक दिवसीय बैठक होगी जहॉ पर अपने पंचायत स्तर पर किये गये कार्यों का आपसी चर्चा करना व आ रही दिक्कतों का सामूहिक रूप से हल करने के तौर तरीके ढुढना व तलासना तथा हल के उपायों पर चर्चा होगी।

स्वास्थ्य कमेटी बैठक – गांव–गांव मे बनी स्वास्थ्य समितियों को समय–समय पर स्वास्थ्य सम्बंधी जानकारी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करके जानकारी उपलब्ध कराते रहते है।

(1) कुपोषण –

कुपोषण के कारण –

शरीर के लिए आवष्यक संतुलित आहार लम्बे समय तक नही मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कूम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के षिकार बन जाते है। अतः कुपोषण की जानकारियां होना अत्यन्त जरूरी है। कुपोषण प्रायः पर्याप्त सुतुलित आहार के अभाव मे होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांष रोगों की जड़ मे कुपोषण ही होता है। स्त्रियों मे रक्ताल्पता या घेंघा रोग अथवा बच्चों मे सूखा रोग या रतौंधी और यहां तक कि अंधत्व भी कुपोषण के ही दुष्परिणाम है। इसके अलावा ऐसे पचासों रोग हैं जिनका कारण अपर्याप्त या असंतुलित भोजन होता है।

गर्भावस्था के दौरान लापरवाही

भारत मे हर तीन गर्भवती महिलाओं मे से एक कुपोषण की षिकार होने के कारण खून की कमी अर्थात रक्ताल्पता की बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। हमारे समाज मे स्त्रियां अपने स्वयं के खान–पान पर ध्यान नही देती है जबकि गर्भवती स्त्रियों को ज्यादा पौष्टिक भोजन की आवष्यकता होती है । उचित पोषण के अभाव मे गर्भवती माताऐं स्वयं तो ग्रस्त होती ही है साथ ही होने वालें बच्चे को भी कमजोर और रोग ग्रस्त बनाती है। अक्सर महिलाऐं पूरे परिवार को खिलाकर स्वयं बचा हुआ रूखा–सूखा खाना खाती है जो उनके लिए अपर्याप्त होता है।

विटामिन ए की कमी के लक्षण

विटामिन ए की कमी से बच्चों मे अंधेपन अचानक नही होता है। विटामिन ए की कमी का यदि पहले से पता चल जाये तो विटामिन ए युक्त पौष्टिक भाजन लेकर इसे रोका जा सकता है।

विटामिन ए की कमी रोकने के उपाय

- ऐसा भोजन लें, जिनमे विटामिन ए अधिक हो।
- दूध, अंडे, मछली के तेल आदि मे विटामिन ए अधिक होता है। पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जी, गाजर, पपीता और आम जैसे फल भीर विटामिन ए के अच्छे स्त्रोत हैं
- राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा किये गये शोध के अनुसार 1–5 साल तक बच्चों को छः महीने मे एक बार एक चम्मच विटामिन ए सीरप पिलाने से भी विटामिन ए कमी पर कुछ हद तक रोक लगायी जा सकती है।

कुपोषण को कैसे पहचाने

यदि मानव शरीर को संतुलित आहार के जरूरी तत्व लम्बे समय न मिलें तो निम्नलिखित लक्षण दिखते है। जिनसे कुपोषण का पता चल जाता है।

1. शरीर की वृद्धि रूकना।
2. मांस पेषियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना।
3. झुर्रिया युक्त पीले रंग की त्वचा।
4. कार्य करने पर शीघ्र थकान आना।
5. मन मे उत्साह का अभाव चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना।

पौष्टिक मिश्रण मे उपयोग की जाने वाली पदार्थ –

भुना हुआ गेंहूँ – 40 ग्राम
पत्तेदार अनाज – 16 ग्राम
भुनी मूंगफली – 10 ग्राम
जौ – 20 ग्राम
इस मिश्रण को पीस लें और अच्छी तरह मिला लें इसमे 330 ग्राम कैलोरी और 11.3 ग्राम प्रोटीन होता है।
बढ़ते बच्चों के लिए पोष्टिक भोजन – बढ़ते बच्चों को पौष्टिक भोंजन की बहुत जरूरत होती है। बच्चों के शरीर मे जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है (कुपोषण) तो उनमे मेरास्मास और क्वाषियोंरकर जैसी बीमारियां होती हैं।

मेरास्मास और क्वाषियोंरकर किसे होता है – यह 1–5 साल तक बच्चों को होता है।

मेरास्मास के लक्षण

यह बीमारी पैर के सूजन के साथ शुरू होती है और फिर हाथ तथा शरीर फूलने लगता है। त्वचा खुरदरी होती है सिर पर बाल कम होते है और उनका रंग लाल भूरा होता है। यह मेरास्मास के लक्षण है। इससे ग्रस्त बच्चे बीमार और थके–थके नजर आते है।

क्वाषियोंरकर के लक्षण इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे कमजोर और दुबले होते है बच्चों की शुरूआती दिनों मे डायरिया हो सकता है।, उनकी त्वचा रूखी होती है।

इन बीमारियों से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए सलाह बच्चों को नियमित रूप से कैलोरी और प्रोटीन युक्त पौष्टिक युक्त पौष्टिक भोजन दे। बहुत अधिक संक्रमित बच्चों को तत्काल डॉक्टर के पास ले जाये।

मेरास्मास और क्वाषियोंरकर से प्रभावित बच्चों का आहार

राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने मिक्स नामक पौष्टिक भोजन विकसित किया है जिसमे सभी पौष्टिक तत्वों का मिश्रण है। यह मिश्रण घर मे भी तैयार किया किया जा सकता

प्रोटीन कैलोरी कुपोषण

प्रोटीन कैलोरी कुपोषण (पीसीएम) मारास्मस (षरीर के आकार मे वृद्धि रूकना और शरीर बेकार होना) और क्वाषियोंरकर (प्रोटीन की कमी), जिसमे त्वचा क्षतिग्रस्त होती है के रूप मे सामने आती है। पीसीएम के कारण न्यूमोनिया, चिकेनपाक्स या खसरा से मौत का खतरा अधिक होता है।

क्वाषियोंरकर और मेरास्मास कारण

क्वाषियोंरकर और मेरास्मास शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी अमीनो एसिड की कमी के कारण होती है। क्वाषियोंरकर आमतौर पर एक साल तक के उम्र के बच्चों मे होती है। उस समय बच्चों को स्तनपान से अलग कर प्रोटीन की कमी वाला पोषण (मांढ़ या चीनी–पानी का घोल) दिया जाता है। वैसे यह बीमारी बच्चों के वृद्धिकाल मे कभी भी हो सकती है। मेरास्मास 6 से 18 महीने की उम्र के वैसे बच्चों को होती है, जिन्हें स्तनपान से वंचित किया जाता है या डायरिया की गंभीर बीमारी होती है।

संकेत व लक्षण

- गंभीर पीसीएम से ग्रस्त बच्चें अपनी उम्र से कम दिखते है, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर तथा संक्रमण के प्रति बेहद संवेदनषील होते है। उन्हें एनोरेक्सियां और डायरिया जैसी बीमारी हमेषा घेरे रहती हैं।
- पीसीएम से गंभीर रूप से पीड़ित बच्चे छोटे सुस्त और रूखी त्वचा वाले होते है। उनकी त्वचा ढ़ीली होती है। और बाल कम होते है तथा भूरे व लाल, पीले होते है। उनके शरीर का तापमान हमेषा कम रहता है नब्ज की गति धीमी होती है और सांस लेने की रफ्तार भी कम होती है। ऐसे बच्चे कमजोर गुस्सैल और हमेषा भूखें होते है। हलांकि उनमे भी मिचलाने और उल्टी के साथ अपच की षिकायत हो सकती है।
- मेरास्मास के विपरीत क्वाषियोंरकर मे मरीज के शरीर के आकार मे वृद्धि तो होती है लेकिन उनकी त्वचा सूखती जाती है क्योकि उनके शरीर की चर्वी, शरीर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा नही कर पाती हैं। इस बीमारी मे त्वचा का रूखेपन उसका उखड़ना और खुजली आदि सामान्य है। जो मरीज दूसरी श्रेणी के पीसीएम मे ग्रसित होते है उनमे भी मेरास्मास जैसे लक्षण होते है और उनके शरीर की त्वचा बेकार होने लगती है तथा वे क्रमिक ढ़ंग से सुस्त पड़ते जाते है।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र से सम्पर्क करें।

(2) आंगनवाड़ी मे स्वास्थ्य सुविधायें – आंगनवाड़ी सम्बन्धी जानकारी बतायी गई आंगनवाड़ी मे पोषण आहार सम्बन्धी जानकारी दिया गया कि हर बच्चे को कुपोषण से बचने के लिए पोषित आहार शासन के द्वारा दिया जाता है आप भी उसका लाभ उठाये आप भी आंगनवाड़ी केन्द्र जाकर पोषण आहार सम्बन्धी जानकारी ले सकते है। आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए सबसे पहले आवेदन बाल विकास विभाग पर प्रस्तुत करें केन्द्र की स्वीकृति 15 दिवस के भीतर हो जायेगी अगर नही होती है तो आप पावती के साथ कार्यवाही कर सकते है।

(3) कमेटी /आषा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी एवं अधिकार – कमेटी को जिम्मेदारी दी जाती है कि गांव की गर्भवती एवं धात्री माताओं बहनों को शासन की सुविधाओं का लाभ दिलाये तथा समय–समय पर टीके लगवाये और पोषण आहार भी समय पर एवं भरपूर दिया जाये।

(4) शराब पीने के दुष्परिणाम/शांति सेना स्थापित करना – गांव मे कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो कि शराब के नषे से चूर रहते है और गांव मे दबंगई दिखाते फिरते है। घर परिवार मे बच्चों तथा पत्नि को मारते डाटते है तथा परेषान करते है। इससे बचने के लिए गांव मे ग्राम रक्षक समिति का गठन किया गया है इस समिति के लोग गांव मे शराबियों से परेषान लोगों की सुरक्षा करेंगे।

ग्राम सभा मोबलाईजेशन – गांव–गांव मे होने वाली निर्धारित ग्राम सभाओं मे गांव के लोगों को जाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं अपनी समस्याओं को रखने के लिए कहा जाता है यह भी बताया जाता है कि ग्राम सभा एक संसद की भांति होती है ग्राम सभा को जो भी अधिकार है वह किसी को नही है आपको अपनी समस्या को लेकर ग्राम सभा मे जाना है।

ग्राम सभा जागरूकता अभियान के तहत् गावं गांव में वृहत् प्रचार प्रसार किया गया कटनी जिला के बड़वारा ब्लॉक के 10 पंचायत तथा डिण्डौरी जिले के समनापुर ब्लॉक के 10 पंचायत में लगभग 300 लोंगों को ग्राम सभा के सम्बन्ध में चर्चा किया गया। प्रचार प्रसार के लिए एक गाड़ी में आगे और पीछे 2 बैनर लगाकर जगह–जगह छोटी –छोटी मीटिंग किया गया तथा दीवाल लेखन बड़वारा ब्लॉक में एवं समनापंर ब्लॉक में पोस्टर के माध्यम से जागृति लाने का प्रयास किया गया तथा पंच/सरपंचों से मुलाकात किया गया।

- ग्राम सभा के सम्बन्ध में पंच/सरपंचों को जानकारी बहुतों को नही थी पंच /सरपंचों का कहना था कि सचिव द्वारा रात में एक दिन पहले रजिस्टर में घर आकर हस्ताक्षर करवा लेते है और किसी भी ग्राम सभा या योजना के सम्बन्ध में बताते है। पंच/सरपंचों का कहना था कि मन लगेगा तो जायेंगे नही तो हमारे पती चले जायेंगे। बहुत ही सहज भाव से कह रही थी।
- ग्रामीण लोगों को भी अधिकांशतः पता नही था पूछने से बता रहे थे कि कोटवार द्वारा ग्राम सभा की सूचना (डोण्डी) पिटकर बताया जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण गांव के लोग सुबह 7 बजे अपने–अपने काम में निकल जाते है इसलिए ग्रामीण लोंगों को ग्राम सभा के बारे में सही समय पर जानकारी नही हो पाती है।
- महिलाएं उतनी उत्सुक नही दिखाई दे रही थी पूंछने पर बता रहे थे कि हमेशा घर का मुखिया (पुरूष) ही जाते है। ग्राम सभा कहां और कब होती है हमें नही पता होता।

प्रक्रिया :– जीप में गांव – गांव जाकर बेनर, एवं दिवाल लेखन किया गया बच्चों के माध्यम से गांव में

मीडिया से संवाद – समस्या को लेकर मीडिया से भी संवाद किया जाता है जिससे गांव की समस्या को न्यूज के माध्यम से प्रेसित किया जाता है और समस्या हल के मार्ग पर लाया जाता हैं।

महिला हिंसा के विरूद्ध पखवाडा की तैयारी बैठक

स्थान – बड़वारा

दिनांक – 25.11.2012

उपस्थिति – संगठन की महिला – 8, अन्य महिला – 4, पुरूष 4, कार्यकर्ता – 5

प्रस्तावना – महिला हिंसा के विरूद्ध पखवाड़ा चलाने का आयोजन जागृति महिला पंच, सरपंच संगठन बड़वारा जिला कटनी की महिलाओं ने मानव जीवन विकास समिति के तत्वावधान मे द हंगर प्रोजेक्ट भोपाल के सहयोग से बड़वारा ब्लॉक के 20 पंचायतों के 50 गांवों मे पखवाड़ा चलाने को तय किया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उमडते सौ करोड महिला हिंसा के विरोध में कार्यक्रम चलाया जा रहा है । हमारे देश के कुछ राज्यों में एक पखवाडा तक इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है । इसी कडी मे म0प्र0 के कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक मे भी महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा हैं । वैश्विक स्तर पर उमडते सौ करोड अभियान के तहत अगामी 14 फरवरी 2013 को पूरी दुनिया में मानव श्रृंखला बनाकर महिला हिंसा के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश दिया जायेगा । कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमति शोभा तिवारी ने बताया कि अभियान के तहत घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की जानकारी व कार्यस्थल पर यौन हिंसा के प्रति संस्थानों कार्यालयों को संवेदनशील करना तथा लिंग आधारित चयन एवं कन्या शिशु हत्या घटते लिंगानुपात के मुद्दे को उठाना, छेडछाड दहेज सहित अन्य मुद्दों पर समर्थन जुटाना आदि काम होगें ।

महिला जागृति पंच सरपंच संगठन बडवारा की महिलाओं ने गांवों–गॉवों तक पहुॅचाने सरकारी कार्यालयों को संवेदनषील करना तथा समाज में महिला हिंसा के माहौल को लोगों तक पहुचाने के लिए एवं तैयार करने के लिए मानव जीवन विकास समिति ने अपने साधन व द हंगर प्रोजेक्ट भोपाल के सहयोग से बडवारा जिला कटनी में महिला जनप्रतिनिधियों के साथ माहौल बनाने लायक कार्यक्रम अभियान के तौर मे चलाया ।

इस पखवाडे को सफल बनाने के उद्देश्य से मानव जीवन विकास समिति बिजौरी ने अपने वाहन में एक रथ जैसे वैनर, पोस्टर के साथ अपने कार्यकर्ता साथियों और जागृति महिला पंच सरपंच संगठन बडवारा के पदाधिकारियों के साथ 25/11/2012 को बडवारा में तैयारी बैठक का आयोजन किया ।

उद्देश्य – महिला हिंसा के विरूद्ध पखवाडा का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा खत्म हो, महिला हिंसा से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाये एवं बाल विवाह, भ्रुण हत्या जैसे कुरूतियों के खिलाफ लोग जागरूक हो ।

1 समाज में महिला हिंसा क बढती घटनाओं पर अंकुष लगाना ।
2 महिला हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 की प्रचार प्रसार करना ।
3 बालिका कन्या भ्रुण हत्या पर रोक लगाना ।
4 बाल विवाह रोकना ।
5 महिलाओं व लडकियों को बराबरी का हक व जागरूकता लाना ।
6 सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए समुदाय में जानकारी के माध्यम से जागरूक करना ।

पखवाडा (25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2012 तक) की तैयारी बैठक का आयोजन बडवारा में **25नवम्बर 2012** को रखा गया। जिसमें जागृति महिला पंच सरपंच के सदस्यों ने अभियान की तैयारी एवं 20 पंचायतों में मुख्य संदेश को कैसे पहुॅचायेंगे, इसकी कार्य योजना एवं जिम्मेदारी के संबंध में चर्चा किया गया, जिसमें तीन विषय कि तैयारी महिला हिंसा /घरेलू हिंसा एवं कन्या भ्रुण हत्या और बाल विवाह के ऊपर प्रचार प्रसार करना और सभा एवं स्कूलों में बच्चों के साथ रैली का आयोजन किया जायेगा , पोस्टर, पम्पलेट, नारा के माध्यम से जागरूक करेंगे इसके ऊपर चर्चा । संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करायेंगे जिस पर संकल्प लेने वाले लोग अपना हस्ताक्षर करेंगे कि आज से हम महिला हिंसा नही करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या नही करेंगे तथा बाल विवाह नही करेंगे तथा हमारे आस पास या जानकारी मे कही भी इस प्रकार से अपराध किया जा रहा तो इसकी सूचना उचित माध्यम से आगे प्रेषित करेंगे।

महिला हिंसा के विरूद्ध– पखवाडा के मुख्य संदेश –

- कन्या भ्रूण हत्या करना अपराध है एवं सामाजिक कलंक है ।
- बाल विवाह करना कानूनी अपराध है ।

महिलाओं और बच्चों पर होने वाली हिंसा मानवीय अधिकारों का हनन है। हिंसा के विरूद्ध आवाज में अपनी आवाज मिलायें और हिंसा मुक्त समाज बनाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बने ।

महाकौशल के कार्यकर्ताओं का कौशल

मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट का नाम सुनते ही तुरन्त ध्यान आता है कि ये मध्य प्रदेश के अत्यंत पिछड़े जिले हैं जहाँ गोंड़, बैगा आदिवासी रहते हैं। इन्ही पिछड़े आदिवासी जिले के गांवों में मानव जीवन विकास समिति के कर्मठ एवं जुझारू 20 कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत द्वारा लोगों के जीवन में आर्थिक, राजनीतिक विकास कर समाज परिवर्तन की दिशा में अहम् भूमिका निभाई है।

आर्थिक विकास :–

महाकौषल के अति पिछड़े क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। क्षेत्र में 508 लोगों को पट्टे प्राप्त हुए। पट्टे मिल जाने से ही जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता वरन प्राप्त भूमि का सही दिषा में उपयोग आवष्यक है तभी आजीविका की समस्या का निराकरण हो सकता है और खाद्यान्य सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। कार्यकर्ताओं ने असिंचित, पठारी, पहाड़ी तथा अन्य भूमि का गम्भीर अध्ययन कर फसलें लेन के लिये समझाया तथा सहयोग किया। वर्षा आधारित फसल लेने के लिये प्रोत्साहित किया। वर्षा आधारित फसलें धान, कोदो, कुटकी, अरहर, मक्का, जगनी, तिल, उड़द के अतिरिक्त कुछ इलाकों में रबी की फसल गेहूँ, चना, अलसी, मटरी आदि का भी उत्पादन किया जाता है। डिण्डौरी में 5 एकड़ में 5 क्विंटल, मण्डला में 8 क्विंअल तथा बालाघाट में 15 क्विंटल उत्पादन होता है। वर्ष 2010 में 2699.97 एकड़ जमीन पर 31108.55 क्विंटल अनाज उत्पन्न हुआ जिसका बाजार भाव 800 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 2,48,86,840 (दो करोड़ अड़तालिस लाख छियासी हजार आठ सौ चालीस) रूपये होता है। इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाया लगाया जा सकता है कि बैगा, गोंड़ आदिवासी की खाद्यान्य सुरक्षा का विकास हुआ है। क्षेत्र में एक एकड़ भूमि का न्यूनतम मूल्य 50,000 (पचास हजार) रूपया है जिसके हिसाब से 2699.97 एकड़ भूमि का मूल्य 13,49,98,500 (तेरह करोड़ उनन्चास लाख अन्ठान्वे हजार पाँच सौ) रूपये होगा जो एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले पाँच वर्ष का उत्पादन करोड़ों में है। आदिवासी परिवारों को जमीन मिली, खाद्यान्न सुरक्षा मिली, आजीविका का साधन मिला, पलायन, भुखमरी आपदाओं में राहत मिली।

क्रं.	जिला	पट्टाधारियों की संख्या	जमीन एकड़ में	उत्पादन	बाजार भाव	जमीन की कीमत
1	डिण्डौरी	60	350.50	1752.50	1402000	17525000
2	बालाघाट	277	1566.47	23092.65	18473640	78323500
3	मण्डला	171	783	6264	5011200	39150000
योग		508	2699.97	31108.55	24886840	134998500

सामाजिक विकास :–

क्षेत्र के आदिवासी जो पहले डरे हुए तथा सहमे रहते थे वे आज खुलकर अपने अधिकार की बात करते हैं। समनापुर ब्लॉक की श्यामबती बैगा जो कभी ग्राम सभा में भी नहीं जाती थी कार्यकर्ताओं के प्रचार–प्रसार से प्रभावित हो पंचायत चुनाव में खड़ी हो गई। हार गई लेकिन उत्साह तब भी कायम है। पंच सरपंच के पद पर जीती महिलाएँ घर से बाहर निकलकर सामाजिक शसक्तिकरण का कार्य कर रही हैं। सामाजिक बंधनों मे समाज जकड़ा हुआ है लेकिन कुछ ऐसे भी बंधन है जिसके कारण से महिलाओं का विकास भी प्रभावित होता था इसको ध्यान मे रखते हुए आज महिलाऐं घर से बाहर निकलना चाहती है वे जानती है कि बिना घर से निकले विकास नही हो सकता है। पुरानी घूंघट प्रथा को महिला सषक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से दूर किया जा रहा है और महिलाऐं अब घर से बाहर निकलकर अपने अधिकारों की लड़ाई कर रही है। यहा तक की अपने अधिकारों के लिए अधिकारी कर्मचारी के मिलने स्वयं जाती है।

आत्मविश्वास विकास :–

- क्षेत्र के लोगों में आत्मविष्वास जागृत हुआ है। क्षेत्र में 12 पट्टे देने के लिये तहसीलदार आया। उसने प्रति पट्टा 200 रूपये वसूले। लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध किया दूसरे ही दिन तहसीलदार पूरे पैसे लौटा गया।
- तीन स्व–सहायता समूहों को बैंक से 20–20 हजार रूपया मिला लेकिन बैंक मैनेजर ने 5–5 हजार ले लिये सिर्फ 15–15 हजार दिये। कार्यकर्ताओं व लोगों के विरोध पर मैनेजर ने रूपये लौटा दिये।
- अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, संगठित होकर विरोध करना क्षेत्र की उपलब्धि है।

कटनी, डिण्डौरी, मण्डला, के पाँच गावों में 31 लोगों के सर्वे पर आधारित यह जानकारी है। जिसमें प्रति परिवार 5 सदस्य होंगे उन्हें वर्ष में अपने घर परिवार चलाने लायक 55650 रूपये की जरूरत पड़ती है जो एकड़ जमीन से खर्चे काटने के बाद 20 हजार रूपये ही मिल सकेंगे जो कुल जरूरत के अनुसार 35650 रूपये कम पड़ेंगे। जिसे उस परिवार को अन्य कार्य खेतिहर मजदूरी या NREGA जैसे कामों से भी पूर्ति नहीं हो पायेगी क्योंकि NREGA के केवल 100 दिनों के काम की गारण्टी है। जिसमें पति/पत्नि भी काम पूरे 100–100 दिन काम करेंगे तो 18 हजार रूपये मजदूरी से मिलेंगे वह भी मिल गया तो। फिर भी 17650 रूपये कम पड़ेंगे जिस कारण से इन गरीब परिवारों में खाद्य सुरक्षा बच्चों का न्यू इस की कमी हमेषा रहेगी बीमारी के समय भी दवाई ठीक से नही करा पायेंगे।

अभी वर्तमान में दिनाँक 16.09.2011 तक के महाकौशल के संस्था के कार्यक्षेत्र के 176 गांवों का सिर्फ संस्था लक्ष्य समूह में जो वन अधिकार अधिनियम से ऑकड़ा आया है वह काफी संतोष जनक है जैस कुल 508 लोगों 2699.97 एकड़ जमीन का वन अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है जो 5.31 एकड़ जमीन प्रति परिवार आती है जिसका उत्पादन यदि दोनो फसल का निकालें तो 10–12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन भी लगाते है तो 58 क्विंटल प्रति परिवार अनाज का उत्पादन होगा जो यदि कम से कम 1200 रूपये प्रति क्विंटल बिक्री भव लगाते है तो 69600 रूपये का होता है। इस आकड़े के आधार पर कुल मांग में से 13950 रूपये का लाभ मिल सकता है जिसमें वह परिवार अपने घर की सुन्दरता अपने दवाई, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कपड़े व तीज त्यौहार भली–भांति मना सकता है।

इससे यह साफ है कि बिना जमीन के स्थायी आजीविका का साधन नहीं खड़ा हो सकता तो वन अधिकार अधिनियम को भली–भांति क्रियान्वयन करने से हजारों आदिवासी परिवारों में स्थाई आजीविका का साधन खड़ा होगा।

सचिव

मानव जीवन विकास समिति